

डिफ़्टी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रुल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री रवि प्रकाश , आर०ए०एस०

-: वादी :-

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. जियाराम पुत्र शंकरलाल
जाति-माली निवासी-आ०कालू
तहसील-जैतारण जिला-ब्यावर
राज०।

1. तहसीलदार जैतारण, तहसील-
जैतारण, जिला- ब्यावर, राज०।

राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

मु०न० :रा०वा० स०: 15/2024
निर्णय व डिफ़्टी दिनांक : 21/11/2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू-..... व हाजरी श्री जियाराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी अधिवक्तागण, वादी मिनजानिब मुद्धई व सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आ०कालू चक-1, पटवार हल्का आ०कालू चक-1, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर स्थान में स्थित खसरा नंबर 1263 रकबा 17.7819 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 278 रकबा 00.0405 हैक्टेयर किस्म गै०मु०, खसरा नंबर 1279 रकबा 00.486 हैक्टेयर किस्म गै०मु०, खसरा नंबर 1280 रकबा 56.2512 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 1281 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म गै०मु०, खसरा नंबर 1282 रकबा 00.3885 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 1285 रकबा 00.6799 हैक्टेयर किस्म चाही चारम के भू अभिलेख में बतौर खातेदार के नाम की अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर "जिवा पुत्र शंकर" के नाम की सही व वास्तविक खातेदार के नाम की शुद्ध एवं सही प्रविष्टि "जियाराम पुत्र शंकरलाल" दर्ज करते हुए वादी को इनके हिस्से तक वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक हुकम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस वादी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21/11/2024 को जारी किया



उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
पदेन महायुक्त कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (ब्यावर)
(जिला-ब्यावर)

	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जा दावा	03	- 00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	- 00	स्टाम्प अर्जा		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील	/	
महनताना वकील	/		खर्चा गवाहान	/	
खर्चा गवाहान	02	- 00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुकमनामा		
बाबत ईजराय हुकमनामा			मुत्फरिक		
मिजान:-	06	- 00	मिजान:-		- 00 -

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह ही फरीकेन को चाहे डिफ़्टी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।